

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प 1(10)एम.ई./ग्रुप-1/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 13.6.13

- :: आदेश :: -

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंका पर जनरल सर्जरी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य/आचार्य पद पर पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया जाता है। संबंधित प्रधानाचार्य निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों के कार्यग्रहण से पूर्व इनसे संतान एवं संपत्ति संबंधी सूचना प्राप्त कर उसका सत्यापन अपने स्तर से करायेगे:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के तहत पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान	डीएसीपी अन्तर्गत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० अम्बालाल साल्वी (अजा)	आचार्य मेडि. कॉलेज, कोटा (वर्तमान में सेवानिवृत्त)	वरिष्ठ आचार्य (वर्तमान में सेवानिवृत्त)	01-4-2011
2.	डॉ० लक्ष्मण अग्रवाल	सह आचार्य मेडि. कॉलेज, जयपुर	आचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01-4-2011

आज्ञा से,


सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/ कोटा।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को उनके प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के माध्यम से।
8. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(20)एमई/ग्रुप.1/2012

जयपुर, दिनांक 13.6.13

"आदेश"

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की अभिशंघा पर कार्डियोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड पे प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड पे	ग्रेड पे दिये जाने की तिथि
1.	डा० एस०एम०शर्मा	आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रू० 10000/-	1.4.2013
2.	डा० राजीव बगरहट्टा	आचार्य मेडि.कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रू० 10000/-	1.4.2013

आज्ञा से,



शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 1(91)एमई/ग्रुप-1/2013

जयपुर दिनांक: 7.6.13

--आदेश--

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 24बीबी के उपनियम (6) के अंतर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की अभिराधा पर दन्त चिकित्सा विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य/आचार्य दन्त चिकित्सा के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अंतर्गत पदोन्नति पर प्राप्त पद	पदोन्नति तिथि
1.	डा० उषा रानी नारायण वर्तमान में देहान्त	आचार्य, प्रोस्थेटिक राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य,	1.4.2011
2.	डा० अंजली दवे	सह आचार्य, ओरल एण्ड मैक्सिलोफैसियल सर्जरी, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	आचार्य, ओरल एण्ड मैक्सिलोफैसियल सर्जरी, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	1.4.2011
3.	डा० मंजु गुप्ता	सह आचार्य, आपरेटिव (कंजरवेटिव) राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	आचार्य, आपरेटिव (कंजरवेटिव) राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	1.4.2011

आज्ञा से

६०/

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा ।
3. अतिरिक्त सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर ।
6. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर ।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(16)एमई/ग्रुप.1/2012

जयपुर, दिनांक 13.6.13

"आदेश"

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्फीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर न्यूरोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड पे प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड पे	ग्रेड पे दिये जाने की तिथि
1.	डा० राजेन्द्र सिंह जैन	आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रू० 10000/-	1.4.2013
2.	डा० अमिता भार्गव	आचार्य मेडि.कालेज, जोधपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रू० 10000/-	1.4.2013
3.	डा० अन्जनी कुमार शर्मा	आचार्य मेडि.कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रू० 10000/-	1.4.2013

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर/जोधपुर।
6. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(16)एमई/ग्रुप.1/2012

जयपुर, दिनांक 13.6.13

“आदेश”

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर न्यूरोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सह आचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नति पर प्राप्त पद	पदोन्नति तिथि
1.	डा० दिनेश चन्द्र खण्डेलवाल	सहायक आचार्य मेडिकल कालेज, जयपुर	सह आचार्य मेडिकल कालेज, जयपुर	23.3.2013

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(12)एम.ई./ग्रुप-1/2013


जयपुर, दिनांक: 13.6.13

-आदेश-

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम 1962 के नियम-24-बीबी के उप नियम (5) के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की सिफारिश पर बायोकेमिस्ट्री विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों की संतान संबंधित एवं सम्पत्ति की सूचना कार्यगृहण से पूर्व प्राप्त करना संबंधित प्रधानाचार्य सुनिश्चित करावे।

क्र०सं	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद व पदस्थापन	पदोन्नति वर्ष/ दिनांक	पदोन्नति पदस्थापन पर
1	डॉ दीपा थदानी	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज अजमेर	1-4-2011	सह आचार्य मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2	डॉ योगिता सोनी	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज अजमेर बीकानेर	1-4-2011	सह आचार्य मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
3	डॉ नीलिमा हेमकार	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर	1-4-2011	सह आचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4	डॉ जयराम रावतानी	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज जोधपुर	1-4-2011	सह आचार्य मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
5	डॉ शुची गोयल	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज उदयपुर	16-08-11	सह आचार्य मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
6	डॉ बी. पी. मीणा (एसटी)	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर	21-12-11	सह आचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर

आज्ञा से,


शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग राज, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं निबंधक, मेडिकल कॉलेज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को प्रधानाचार्य के माध्यम से।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(15)एम.ई./ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 13-6-2013

- :: आदेश :: -

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आचार्य पद पर पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया जाता है। संबंधित प्रधानाचार्य निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों के कार्यग्रहण से पूर्व इनसे संतान एवं संपत्ति संबंधी सूचना प्राप्त कर उसका सत्यापन अपने स्तर से करायेगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के तहत पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान	डीएसीपी अन्तर्गत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० इन्द्रा भाटी	सह आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	01-4-2013
2.	डॉ० ममता शर्मा	सह आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग मेडिकल कॉलेज, कोटा	आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग मेडिकल कॉलेज, कोटा	01-4-2013

आज्ञा से,

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/ कोटा।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को उनके प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के माध्यम से।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(53)एम.ई./गुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 13.6.13

- : : आदेश : : -

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंभा पर बायोफिजिक्स विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को डीएसीपी के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आचार्य पद पर पदोन्नत करते हुए संबंधित मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित किया जाता है। संबंधित प्रधानाचार्य निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों के कार्यग्रहण से पूर्व इनसे संतान एवं संपत्ति संबंधी सूचना प्राप्त कर उसका सत्यापन अपने स्तर से करायेगे:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के तहत पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान	डीएसीपी अन्तर्गत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० आर.के. व्यास	सह आचार्य, बायोफिजिक्स मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	आचार्य, बायोफिजिक्स, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	01-4-2011

आज्ञा से,


सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को उनके प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के माध्यम से।
8. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक: प.1(13)एम.ई./ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 14.6.17

-आदेश-


राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम 1962 के नियम-24-बीबी के उप नियम (5) के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की सिफारिश पर नेत्र रोग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड पे प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षकों की संतान संबंधित एवं सम्पत्ति की सूचना प्राप्त कर ग्रेड पे दिया जाना संबंधित प्रधानाचार्य सुनिश्चित करावे।

क्र०सं	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद व पदस्थापन	डीएसीपी के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड पे	ग्रेड पे दिये जाने की तिथि
1.	डॉ के. के. अिलनानी	आचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01-04-2013
2.	डॉ सी. एस. व्यास	आचार्य, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01-04-2013
3.	डॉ एम. के. झारवाल	आचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01-04-2013
4.	डॉ किशोर कुमार	आचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01-04-2013
5.	डॉ डी. के. बेदी	आचार्य, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01-04-2013
6.	डॉ राकेश पौरवाल	आचार्य, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01-04-2013

आज्ञा से

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग राज, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को प्रधानाचार्य के माध्यम से।
7. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(13)एम.ई./ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 14.6.13

-आदेश-

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम 1962 के नियम-24-बीबी के उप नियम (5) के अन्तर्गत गठित स्कीनिंग कमेटी की सिफारिश पर नेत्र रोग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य/आचार्य/सह आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों की संतान संबंधित एवं सम्पत्ति की सूचना कार्यग्रहण से पूर्व प्राप्त करना संबंधित प्रधानाचार्य सुनिश्चित करावे।

1. वरिष्ठ आचार्य

क्र०सं	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद व पदस्थापन	पदोन्नति वर्ष/ दिनांक	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	डॉ. जे. के. चौहान	आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर	01-04-2011	वरिष्ठ आचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2	डॉ. जी. एस. राठौड़	आचार्य, (सेवानिवृत्त)	01-04-2011	वरिष्ठ आचार्य (सेवानिवृत्त)
3	डॉ. मधु माथुर	आचार्य, (सेवानिवृत्त)	15-09-2011	वरिष्ठ आचार्य (सेवानिवृत्त)
4	डॉ. अनिता चाहर	आचार्य, मेडिकल कालेज बीकानेर	25-07-2012	वरिष्ठ आचार्य मेडिकल कॉलेज, बीकानेर

2. आचार्य

क्र०सं	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद व पदस्थापन	पदोन्नति वर्ष/ दिनांक	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	डॉ. रविन्द्र सिंह	सह आचार्य, मेडिकल कालेज कोटा	1-4-2011	आचार्य मेडिकल कॉलेज, कोटा
2	डॉ. अशोक कुमार बैरवा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज उदयपुर	1-4-2011	आचार्य मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
3	डॉ. पंकज शर्मा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर	09-07-12	आचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4	डॉ. तारा बाबू सौनी	सह आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर	11-07-12	आचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर
5	डॉ. नगेन्द्र शेखावत	सह आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर	11-07-12	आचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 1(16)एमई/ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक: 13.6.13

-:आदेश:-

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर रेडियो डायग्नोसिस विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य, रेडियो डायग्नोसिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अंतर्गत पदोन्नति पर प्राप्त पद	पदोन्नति तिथि
1.	डा० सतीश कच्छावा	आचार्य, मेडिकल कालेज, बीकानेर	वरिष्ठ आचार्य, मेडिकल कालेज, बीकानेर	1.4.2012

आज्ञा से

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा ।
3. अतिरिक्त सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बीकानेर ।
6. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज ।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प 1(12)एम.ई./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 13.6.13

—: : आदेश : —

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1982 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशप्ता पर शिशु औषध विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आचार्य/ सह आचार्य पद पर पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के तहत पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान	डीएसीपी अन्तर्गत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. उषा आचार्य	आचार्य (सेवा निवृत्त), शिशु औषध,	वरिष्ठ आचार्य, शिशु औषध	01.04.2011
2.	डॉ. डी.आर. डाबी (एस.सी.)	आचार्य, (सेवा निवृत्त) शिशु औषध	वरिष्ठ आचार्य, शिशु औषध	01.04.2011
3.	डॉ. चमन राम वर्मा (एस.सी.)	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.2011
4.	डॉ. सुरेश चन्द गौयल	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	वरिष्ठ आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	01.04.2011
5.	डॉ. एस.डी. शर्मा	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.2011
6.	डॉ. पी.के. बबेरवाल	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	01.04.2011
7.	डॉ. पुखराज गर्ग	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	01.04.2011
8.	डॉ. अनिल कुमार जैन	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	02.10.2012
9.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	01.04.2013
10.	डॉ. अनुराग सिंह	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	01.04.2013
11.	डॉ. संजीव जैन	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	01.04.2013
12.	डॉ. जय प्रकाश सोनी	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	01.04.2013
13.	डॉ. धनश्याम सिंह सिंगर	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	01.04.2013
14.	डॉ. रेनु अग्रवाल	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	01.04.2013
15.	डॉ. कुसुम देवपुरा	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.2013
16.	डॉ. रामबाबू शर्मा	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.2013

Cont. -----2

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के तहत पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान	डीएसीपी अन्तर्गत पदोन्नति तिथि
17.	डॉ. लाखन सिंह पोसवाल	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	01.04.2013
18.	डॉ. आर.के. सोनी	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	01.04.2013
19.	डॉ. कपिल गर्ग	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.2013
20.	डॉ. राज कुमार गुप्ता	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.2013
21.	डॉ. रामेश्वर लाल सुमन (एस.सी.)	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	01.04.2013
22.	डॉ. जगदीश सिंह (एस.टी.)	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.2013
23.	डॉ. मनीष पारख	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	01.04.2013
24.	डॉ. विवके अरोड़ा	सह आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	01.04.2013
25.	डॉ. सुरेश कुमार (एस.सी.)	सहायक आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज जोधपुर	सह आचार्य, शिशु औषध मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	05.04.2011
26.	डॉ. प्रदीप कुमार मीणा (एस.टी.)	सहायक आचार्य, शिशु औषध मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	सह आचार्य, शिशु औषध मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	23.04.2011

आज्ञा से,



शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षको को उनके प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक के माध्यम से।
8. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(11)एम.ई./ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 13.6.13

— :: आदेश :: —

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम 1962 के नियम-24-बीबी के उप नियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर शिशु औषध विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड पे प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक की संतान संबंधित एवं सम्पत्ति की सूचना कार्यगृहण से पूर्व प्राप्त करना संबंधित प्रधानाचार्य सुनिश्चित करावे।

क्र. सं.	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद व पदस्थापन	डीएसीपी के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेड पे	ग्रेड पे दिये जाने की तिथि
1.	डॉ० देवेन्द्र सरिन	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01.04.2013
2.	डॉ० एन.पी. छंगाणी	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01.04.2013
3.	डॉ० अचला आर्य	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01.04.2013
4.	डॉ० जगदीश सिंह	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01.04.2013
5.	डॉ० एस. सीतारमन	आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य की ग्रेड पे रु. 10,000/-	01.04.2013

आज्ञा से



शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग राज, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जोधपुर
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को प्रधानाचार्य के माध्यम से।
7. संक्षिप्त पत्रावली।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(14)एमई/गुप.1/2012

जयपुर, दिनांक 13.6.13

“आदेश”

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलिटेशन विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नति पर प्राप्त पद	पदोन्नति तिथि
1.	डा० मृणाल जोशी	सह आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	आचार्य मेडि. कालेज, जयपुर	1.4.2013

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर।
6. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

3. सह आचार्य

क्र०सं	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद व पदस्थापन	पदोन्नति वर्ष/ दिनांक	पदोन्नति पदस्थापन पर
1	डॉ कल्पना जैन	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज बीकानेर	01-04-2011	सह आचार्य, मेडिकल कालेज बीकानेर
2	डॉ जयश्री	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज कोटा	01-04-2011	सह आचार्य, मेडिकल कालेज कोटा
3	डॉ विवेक जैन	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर	01-04-2011	सह आचार्य, मेडिकल कालेज जयपुर
4	डॉ अरविन्द चौहान	सहायक आचार्य, मेडिकल कालेज जोधपुर	01-04-2011	सह आचार्य, मेडिकल कालेज जोधपुर

आज्ञा से,



शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग राज, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को प्रधानाचार्य के माध्यम से।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव